न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 50/2023 बउनवानी सीताराम बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र स्व0 छोटया माली निवासी हथाई के पास जटवाडा खुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
GCMS No-2023/ 105

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.8..2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 17.5.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. पटवार हल्का ठींगला के ग्राम जटवाडाखुर्द में स्थित भूमि ख0न0 243 रकबा 0.30 है0 पुराना ख0न0 434 से संबंधित राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2029से सम्वत् 2077 तक का समस्त रिकार्ड की सूचना उपलब्ध करावे।
2. उक्त भूमि ख0न0 243 रकबा 0.30 है0 स्थित हल्का पटवारी ठींगला ग्राम जटवाडा खुर्द की भूमि को कब किसे अलोटमेंट किया है प्रमाणित सूचना देवे।
3. भूमि ख0न0 243 रकबा 0.30 है0 के अलोटमेंट से संबंधित समस्त राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2029 से आज दिनांक तक की सूचना उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक आरटीआई/2023/221 दिनांक 21.8.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 17.5.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होना अंकित करते हुए सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जबकि प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट द्वारा ख0न0 एवं गांव, तहसील का नाम इत्यादि अंकित कर रखा है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को उक्त ख0न0 243 से संबंधित समस्त राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस इत्यादि की सूचना दिया जाना चाहिए था। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना नियमानुसार 7 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है अपीलान्ट को लगभग 73 दिवस उपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय [illegible] व्यक्तिगत ध्यान देकर निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अ[illegible] जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible]ल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:41:28 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner